न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :— 12/2023
निर्णय दिनांक :— 22.11.2024
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. सीताराम पुत्र जगन्नाथ दतक पुत्र रामनाथ जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. केसर देवी पत्नि सुवालाल जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार
प्रार्थना पत्र तरमीम दुरुस्ती किये जाने तरमीम आबादी

निर्णय दिनांक :— 22.11.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 294/1 रकबा 1.5933 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका मूल खसरा नम्बर 294 था, जिसमें से ख0न0 294/1 रकबा 1.5933 हैक्टेयर का पर्चा पर्चा सम्वत 2011—2030 प्रार्थी के दादा श्रीकिशन वल्द श्रीनारायण के नाम से आया था, जिसका नक्शा ट्रेस में सूल ख0न0 294 ही अकिंत था, तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं थी। वर्तमान में राज्य सरकार निर्देशानुसार DIRLMP की योजना के अर्न्तगत प्रार्थी के आराजी ख0न0 294/1 की तरमीम जमाबन्दी में अकिंत रकबा के अनुसार नहीं कर जमाबन्दी में अकिंत रकबें से कम कीं गलत तरमीम कर नया ख0न0 294/2 अकिंत कर दिया है। जबकि उक्त ख0न0 294/2 नक्शा ट्रेस में पूर्व में कहीं पर भी अकिंत नही था, तथा ख0न0 294/2 का रकबा जमाबन्दी में अकिंत ख०न० से अधिक की तरमीम कर दी गयी है, जो गलत है। प्रार्थी ने नक्शा ट्रेस में की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय फागी को भी दिया था लेकिन तहसीलदार फागी ने प्रार्थी के खातेदारी भूमि जो जमाबन्दी में अकित रकबें के अनुसार नक्शा ट्रेस में की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त आजदिनांक तक नही किया है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला दूदू

करना पड़ रहा है। तथा नक्शा ट्रेस में प्रार्थी का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबें से मिलान नही करने से प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी जमाबन्दी में वर्णित ख0न0 294/1 रकबा 1.5933 हैक्टेयर के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। इसलिये प्रार्थी को अपने हक हकूको की रक्षार्थ मान्य न्यायालय विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने तरमीम दुरूस्ती मान्य न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2024 के अनुसार ख.नं. 294/1 व 294/2 मौके पर कृषि कार्य के उपयोग में आ रही है। खसरा नं. 294/1 का डिजिटल नक्शा में तरमीम कम हो रखी है जबकि मौके पर रकबा लगभग 1.50 हैक्टेयर है। खसरा नं. 294/2 का डिजिटल नक्शा में तरमीम अधिक हो रखी है जबकि मौके पर रकबा लगभग 0.40 हैक्टेयर है। अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

अप्रार्थी सं0 2 की दिनांक 11.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसीलदार फागी रिपोर्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 294/1 रकबा 1.5933 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक तहसीलदार फागी रिपोर्ट तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को सरे इजलास सुनाया जाता है

22/11/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू